

डा0 ललन कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर, मुंगेर संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरियारपुर, मुंगेर को दिनांक 03.07.2012 को अपराह्न 4.00 बजे माननीय मंत्री स्वास्थ्य के औचक निरीक्षण के समय कर्तव्य से अनुपस्थित पाए जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 1027(9) दिनांक 17.8.12 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प सं0 1231(9) दिनांक 6.11.12 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदालोक में समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत डा0 ललन कुमार को अधिसूचना सं0 1309(9) दिनांक 21.10.13 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

चूंकि डा0 ललन कुमार के विरुद्ध आरोप अप्रमाणित है तथा क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां पत्रांक 293 दिनांक 04.08.2014 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि डा0 ललन कुमार निलंबन अवधि में अपनी निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहे हैं तथा उन्हें उक्त अवधि का अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान भी किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत डा0 ललन कुमार तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर, मुंगेर संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरियारपुर, मुंगेर को उनकी निलंबन अवधि (दिनांक 17.08.2012 से 20.10.2013 तक) के लिए पूर्ण वेतन भत्ता (निलंबन अवधि में उन्हें प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन करते हुए) भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:

240(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक 23/3/2014

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अवर सचिव वित्त विभाग (वै0 दा0 नि0 को0), विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा0 ललन कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संग्रामपुर, मुंगेर संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरियारपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियांक /सिविल सर्जन, मुंगेर, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10,15 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव